न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/44/2024	2024/114	09.05.2024	28.04.2025

1. भोलाराम पुत्र श्री सुक्का नाथ जाति जोगी उम्र करीब 65 साल निवासी ग्राम जोगियो की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर। ––(मृतक)
   1/1–सागरमल पुत्र भोलाराम,
   1/2–समुन्द्र योगी पुत्र भोलाराम,
   1/3–हरबाई,
   1/4–आंची,
   1/5–सुरज्ञानी
   निवासीयान ग्राम जोगियो की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर।
2. रामफूल पुत्र श्री डालूराम उम्र करीब 45 साल जाति मीना निवासी ग्राम रामदास की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपी पुत्र श्री कजोड जाति मीना उम्र करीब 75 साल
2. तुलसा पुत्र कजोड जाति मीना उम्र करीब 72 साल
3. रामकरण पुत्र श्रीकजोड जाति मीना उम्र करीब 62 साल
4. हरनारायण पुत्र श्री कजोड जाति मीना उम्र करीब 65 साल
   निवासीयान ग्राम गुवाडाराडी तहसील थानागाजी जिला अलवर

–असल अप्रार्थीगण

5. हरिसिंह पुत्र श्री सेदूराम गुर्जर उम्र करीब 55 साल निवासी साडिया की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर।
6. जग्गा राम पुत्रश्री रामसहाय जाति मीना उम्र करीब 62 साल निवासी ढाणी राजाली तहसील थानागाजी जिला अलवर।
7. जयराम पुत्र श्री डालूराम मीना उम्र करीब 50 साल निवासी ग्राम रामदास गुवाडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज०।
8. रामजीलाल पुत्र श्री सेदूराम मीना उम्र 62 सालनिवासी ढिगारिया की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर।
9. धोलाराम पुत्रधीसाराम बलाई उम्र करीब 40 साल निवासी ग्राम समरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज०।
10. बद्री पुत्र रामधन जाति बलाई उम्र करीब 56 साल निवासी ग्राम समरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज०।

– तरतीवी अप्रार्थीगण

––:: प्रार्थना–पत्र मुंतकिल ::––

उपस्थितः–

01–श्री सुरेशचन्द शर्मा, –वकील प्रार्थीगण
02–श्री के.के. शर्मा –वकील अप्रार्थीगण

–:निर्णयः–

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़, जिला अलवर के प्रकरण बउनवान गोपी वगै0 बनाम भोलाराम वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जी प्रतापगढ में एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण की तामिल होने के पश्चात जवाब पेश करना था लेकिन प्रार्थीगण के पास न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं० 2 अलवर से प्रमाणित प्रतिलिपी ना मिलने के कारण जवाब के लिए समय मांगा दिनांक 6–5–24 को अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीगण व तर० अप्रार्थीगण को धमकी दी है कि उपरोक्त पत्रावली का निर्णय 13–5–24 को कर दिया जावेगा। पीठासीन अधिकारी की इस प्रकार की धमकी से प्रार्थीगण व तर० अप्रार्थीगण को पूरा पूरा अन्देशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 1 ला० 4 के बीच कोई समझोता हो गया है या स्थानीय विधायक ने पीठासीन धिकारी पर दबाव डाला है ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी से प्रार्थीगण को न्याय मिलने की संभावना नहीं है इसलिये यह आवेदन वास्ते मुन्तकिली श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट तोर पर प्रार्थीगण से कहा है कि उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण बिना दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य लिये दिनांक 13–5–24 या इसके तुंरत पश्चात आवश्यक रूप से करना है। अप्रार्थी संख्या 1 ला० 4 प्रार्थीगण से खुलेआम कह रहे है कि उन्होने स्थानीय विधायक से मिल कर पीठासीन अधिकारी पर दबाव डलवा दिया ह हमारी व पीठासीन अधिकारी से बात हो गयी है यदि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये व प्रार्थीगण व स्थानीय विधायक के दबाव में आकर मुकदमें में पक्षपात करते हुए गलत निर्णय पारितकर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी और प्रार्थीगण अपनी अलोटशुदा जमीन से बेदखल हो जावेगें।

अप्रार्थी सं० 1 ला० 4 व स्थानीय विधायक एक ही समाज से है एवं मिलनसारी है इसलिये स्थानीय विधायक हर संभव प्रयत्न द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर नाजायज दबाव डाल कर उपरोक्त मुकदमें को बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थीसं० 1 ला0 4 के पक्ष में कराने की जुस्तजू में है इसलिये पीठासीन अधिकारी दबाव में आकर मुकदमें का शीघ्र निस्तारण करना चाहते है। खसरा नंबर 580 गे० मु०राडा है उपरोक्त आराजी को ग्राम पंचायत ने अपने स्वामित्व में लेकर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया शेष जमीन प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण को सन 1980 में इन्द्रा आवासीय योजना के अर्न्तगत रिहायश हेतु अलोट कर दी जिस पर सन 1980 से प्रार्थीगण व तर०अप्रार्थीगण काबिज है सन 1980 से लेकर आज दिन तक उपरोक्त व्यक्तियो के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने बेदखली की कार्यवाही नही की आज स्थानीय विधायक से एवं पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर यह आवेदन पत्र वास्ते बेदखली प्रस्तुत कर दिया। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही है इसलिये प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र को किसी दीगर सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में मुन्तकिल करवाने के कानूनन अधिकारी है ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र नेक नियती से न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्धांत है कि पक्षकारान को सही न्याय मिलना चाहिये यही नही अपितु पक्षकारान को लगना भी चाहिये कि उनके साथ निष्पक्ष न्याय हो रहा है। लेकिन वर्तमान प्रकरण में ऐसा नही है।

अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनुवान गोपी व अन्य बनाम भेलाराम वअन्य को किसी दीगर सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल फरमाये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का मद सं. 1 जिस प्रकार बयान किया गया हैं, गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। जिमन हाजा में प्रार्थीगण द्वारा तहत न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ के पीठासीन अधिकारी पर झूठे आरोप लगाये गये हैं। असल अप्राथी सं. 1 ला0 4 व तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ हैं। जिमन हाजा में प्रार्थीगण द्वारा समस्त तथ्य गलत, मिथ्या व असत्य दर्ज कराये हैं। प्रार्थना पत्र का मद सं. 2 जिस प्रकार बयान किया गया हैं, गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। जिमन हाजा में प्रार्थीगण द्वारा असल अप्रार्थी सं. 1 ला० 4 पर गलत व मिथ्या आरोप लगाये गये हैं। अप्रार्थी सं. 1 ला० 4 द्वारा किसी भी स्थानीय विधायक या राजनैतिक व्यक्ति से तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर कोई दबाव नहीं डाला गया हैं

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

बल्कि पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक प्रकिया के तहत प्रकरण का विचारण किया जा रहा हैं तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही न्याय निर्णय किया जाना संभावित हैं। प्रार्थना पत्र का मद सं. 3, 4 जिस प्रकार बयान किया गया हैं, गलत है स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थना पत्र का मद सं. 5 जिस प्रकार बयान किया गया हैं गलत हैं अस्वीकार हैं। उक्त मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो पर न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। जिसमें सत्यता का अभाव हैं। प्रार्थना पत्र का मद सं. 6, 7 जिस प्रकार बयान किया गया हैं गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थना पत्र का मद सं. 8, 9 जिस प्रकार बयान किया गया है वह कानूनी हैं न्यायालय गौर श्रीमान हैं।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त अनुवानी मुंतकिली प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर न्यायालय हाजा में पेश किया गया हैं। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 ला० 4 व तहत न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ के पीठासीन अधिकारी पर झूठे व मिथ्या आरोप लगाये गये हैं तथा पूर्व में प्रार्थना पत्र मुंतकिली खारिज हो चुका हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त मुंतकिली प्रार्थना पत्र केवल मात्र तहत न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में देरीना करने व प्रकरण को लम्बा खीचने की नियत से न्यायालय हाजा में पेश किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी तहत न्यायालय तहसीलदार साहब प्रतापगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बअनुवान गोपी वगैहरा बनाम भोलाराम वगैहरा को दीगर न्यायालय में मुंतकिली करने हेतु गलत तथ्यो के आधार पर पेश श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जिस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका हैं। अब पुनः प्रार्थीगण द्वारा उक्त मुंतकिली प्रार्थना पत्र केवल मात्र देरीना करने के मकसद से न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज किये जाने योग्य हैं। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा समस्त तथ्य मिथ्या, असत्य व मनगढंत दर्ज कराये गये हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा बार–बार अप्रार्थी सं. 1 ला० 4 को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि श्री गोपी उम्र 75 वर्ष हिस्सा 1/4, श्री तुलसा उम्र 72 वर्ष हिस्सा 1/4, श्री रामकरण उम्र 62 वर्ष हिस्सा 1/4, श्री हरनारायण उम्र 65 वर्ष हिस्सा 1/4 पिसरान श्री कजोड जाति मीणा निवासीयान ग्राम गुवाडाराडी तहसील थानागाजी (हाल तहसील प्रतापगढ़) जिला अलवर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, खातेदार आसामीगण, द्वारा तत्कालीन तहसीलदार, तहसील थानागाजी के समक्ष दिनांक 11.09.2023 को श्री भोलानाथ पुत्र सुगा रामनाथ जोगी, श्री हरीसिंह पुत्र सेदूराम गूर्जर, श्री फूलचन्द पुत्र श्री डाजूराम, श्री जग्गाराम पुत्र रामसहाय मीणा, जयराम पुत्र श्री डालूराम मीणा, श्री रामजीलाल पुत्र सेदूराम मीणा, श्री धोलाराम पुत्र घीसाराम बलाई, श्री बद्री पुत्र रामधन बलाई आदि के विरूद्ध खसरा नम्बर 580 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म गै.मु. राडां (प्रतिबन्धित भूमि) खातेदारी भूमि पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा कर लिये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण का नाजायज कब्जा हटाने, उन्हें बेदखल करने तथा प्रार्थीगण की भूमि का उन्हें कब्जा वापस दिलवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। यह प्रार्थना पत्र दर्ज कर विधिवत अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु नोटिस जारी किये गये तथा सुनवाई हेतु नियत दिनांक को बुलाया गया है। उक्त भूमि वर्तमान में खातेदारी श्री गोपी का हिस्सा भूमि विकास बैंक शाखा अलवर, श्री तुलसा एवं श्री हरनारायण का हिस्सा बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजबगढ मु.बि.क. एवं श्री रामकरण का हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोला का बास के यहां रहन दर्ज है। प्रकरण में प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पैरा प्रथम में कोई जवाब अपेक्षित नहीं हैं। पैरा द्वितीय के सम्बन्ध में निवेदन है कि खसरा नम्बर 580 रकबा 0.16 हेक्टर किस्म गै. मु. राडा राजस्व रिकार्ड में गोपी वगैरह की खातेदारी में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि को ग्राम पंचायत को अपने स्वामित्व में लेकर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया जाना, शेष भूमि पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को सन् 1980 में रिहायश हेतु अलोट करने का कथन

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

आधारहीन एवं विधि विरूद्ध है। अनुसूचित जनजाति के खातेदार आसामी की भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में अपने स्वामित्व में नहीं लिया जा सकता है और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा अजजा खातेदार आसामी की खातेदारी भूमि को किसी अन्य को रिहायश के लिए आंवटन की जा सकती है। स्थानीय विधायक से सांठ गांठ कर कार्यवाही किये जाने का कथन बेबुनियाद एवं मिथ्या कथन है। अजजा के खातेदार आसामी की भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिये जाने पर ऐसे अ.ज.जा के खातेदार आसामी को अपनी भूमि मुक्त करवाने के लिए धारा 183वी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार है। पैरा 3 के सम्बन्ध में कथन किया कि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183वी के तहत दर्ज मुकदमात के लिए राज. काश्त. सरकारी नियम 1955 के नियम 5 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार काश्तकारी अधिनियम की धारा 183वी के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का निस्तारण जहां तक हो सके तीन माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश प्रदान है। प्रस्तुत प्रकरण का दायरा दिनांक 11.09.2023 को हुआ है जिसे उक्त दिशा निर्देश समय से अधिक हो गया है। प्रकरण में पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अजजा के खातेदार आसामियों की खातेदारी भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने बाबत स्पष्ट रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त है। प्रकरण में इस न्यायालय स्तर पर नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिया जाकर कार्यवाही की जा रही है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के प्रार्थी (केस ट्रान्सफर एप्लीकेंट्स) प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पैरा के अन्य कथन मनगढन्त बेबुनियाद एवं मिथ्या है। पैरा 4 के सम्बन्ध में निवेदन है कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखने के लिए यह मुन्तकिल प्रार्थना श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुन्तकिल प्रार्थीगण (केस ट्रान्सफर एप्लीकेंट्स) के पक्ष में कोई सुविधा का संन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति का कोई बिन्दु इनके पक्ष में ना तो आयद है और ना ही साबित है। पैरा संख्या 5 के सम्बन्ध में कथन आधारहीन है एवं खारिज योग्य है। पैरा संख्या 6 श्रीमान के श्रवणाधिकार से सम्बन्धित है। पैरा संख्या 7 न्यायशुल्क का कानूनी बिन्दु है। इस प्रकार मुन्तकिली प्रार्थियों द्वारा आधारहीन बेबुनियाद विधि विरूद्ध कथनों के आधार पर प्रार्थना की जाकर प्रकरण को इस न्यायालय से अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु प्रार्थना की गई है जो खारिज योग्य है। फिर भी माननीय श्रीमान के द्वारा इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय को प्रकरण स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय/कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान